—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 27/2020

उनवान

1. मोहम्मद अली पुत्र गफफार खान,
2. अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान नि0 अजबा का बाडिया, नसीराबाद

——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. अब्दुल रज्जाक पुत्र सुवा,
2. उस्मान पुत्र सुवा,
3. हमीदन पुत्र सुवा,
4. अजमत पुत्री गफार खान,
5. अययूब पुत्र गफफार खान,
6. आरिफ पुत्र गफफार खान,
7. बतुल बेगम पत्नी गफफार खान,
8. मोहम्मद अययूब उर्फ हसन पुत्र गफफार खान,
9. मोहम्मद अली पुत्र गफफार खान
10. रफीका पुत्र गफफार खान
11. सोना पुत्री गफफार खान,
12. हबीब खान पुत्र गफफार खान,
13. अब्दुल कययूम पुत्र अब्दुल सत्तार,
14. अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल सत्तार,
15. मलका पुत्री अब्दुल सत्तार,
16. मोहम्मद इकराम पुत्र अब्दुल सत्तार,
17. मोहम्मद इमरान पुत्र अब्दुल सत्तार,
18. रजिया पत्नी अब्दुल सत्तार,
19. इस्माईल पुत्र अब्दुल हमीद,
20. मौ0 नौशाद पुत्र अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान नि0 ग्राम अजबा का बाडिया, नसीराबाद,
21. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया शाखा बाघसुरी, नसीराबाद,
22. राज0 सरकार जरियें तहसीदलार सीराबाद

—— प्रतिवादीगण :—1 से 21 अनुपस्थित, 22 जरियें राज. पैरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 21.11.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अजबा का बाडिया, प.म. बनेवडा के खाता संख्या 105/161 किता 9 रकबा 1.30, खसरा नम्बर 816 रकबा 0.12, ग्राम

——2

बाघसुरी के खाता संख्या 639/811 किता 16 रकबा 2.83, 636/14 किता 4 रकबा 0.49 की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कियाजावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 21 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकेार की बहस पर मनन किया आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। वादीगण विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम अजबा का बाडिया, प.म. बनेवडा के खाता संख्या 105/161 किता 9 रकबा 1.30, खसरा नम्बर 816 रकबा 0.12, ग्राम बाघसुरी के खाता संख्या 639/811 किता 16 रकबा 2.83, 636/14 किता 4 रकबा 0.49 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मौहम्मद अली बनाम अब्दुल रज्जाक

दावा बाबत :– 53, 88 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –27/2020
पेश करने की दिनांक –04.03.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

उक्तानुसार ग्राम अजबा का बाडिया, प.म. बनेवडा के खाता संख्या 105/161 किता 9 रकबा 1.30, खसरा नम्बर 816 रकबा 0.12, ग्राम बाघसुरी के खाता संख्या 639/811 किता 16 रकबा 2.83, 636/14 किता 4 रकबा 0.49 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २१ माह ११ सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)